फर्द अहकाम

विषय: सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

मोहम्मद इसि बनाम अब्दुल कादर वगै०

संख्या / वर्ष : _____ / 20____

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	आज दिनांक 27/2/23 को [illegible] पेश हुई। [illegible] अधिवक्ता/कार्य [illegible] के कारण, [illegible] पी.ओ.सा. [illegible] कार्य [illegible] पूर्वानुसार दिनांक 22/3/23 को पेश हो।	
22/3/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी बहस रिपोर्ट हेतु समय चाहते हैं। अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली पत्रावली [illegible] रिपोर्ट दिनांक 29/3/23 को पेश हो। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय	
29/3/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की बहस तहसीलदार कोटपूतली के पत्र रिपोर्ट पर सुनी गई। वकील बहस मनन पूर्वक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार कोटपूतली द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि खसरा 37/5 के मौके पर प्लाटिंग है खसरा की है मौके पर कृषि कार्य नहीं है अतः कॉलोनाइजर बनाया जाना संभव नहीं है। प्रकरण वाद बाबत लंबित व स्थायी निषेधाज्ञा है। मौके पर कृषि कार्य नहीं होने व मकान होने से कॉलोनाइजर रिपोर्ट नहीं बन सकती है। नीचाड़ का चलाये जाने का औचित्य नहीं है। तहसीलदार कोटपूतली के प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] शुमार होकर डी नेचर केस होकर डायरी इंद्राज हो। निर्णय आज दिनांक 29/3/23 को लिखाया जाकर सुनाया गया। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय	

Scanned with OKEN Scanner